छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 831/2007</u>

1. **श्री धनराय राम,** - *अपीलार्थी*
ग्राम-ईचोली, ग्राम पंचायत-बेडेकोना,
तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सरपंच,* - *प्रति अपीलार्थी*
ग्राम पंचायत-बेडेकोना,
तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 06 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री धनराय राम द्वारा जन सूचना अधिकारी/सरपंच, ग्राम पंचायत-बेडेकोना, जिला जशपुर से जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 21.09.2006 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी, उक्त अपील पर उनके द्वारा दिनांक 07.03.2007 को जानकारी प्रदाय करने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नही मिलने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील आयोग के समक्ष दिनांक 13.09.2007 को प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई । प्रकरण में पूर्व में गरीबी रेखा का कार्ड नही होने से फीस की सूचना दी गई थी, किन्तु बाद में चूंकि गरीबी रेखा का कार्ड लगाया गया था और 15 दिवस में जानकारी देने के लिए दिनांक 16.11.2007 को निर्देश दिये गये थे । दिनांक 18.01.2008 को अधूरी जानकारी दिये जाने के कारण सचिव, ग्राम पंचायत को विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । प्रकरण में दिनांक 07.03.2008 तक मस्टर रोल की प्रतियॉं दे दी गई थी, किन्तु शेष जानकारी नही देना बताया गया है और अपीलार्थी के अभिभाषक ने मारपीट कर जबरन हस्ताक्षर करना बताया है तथा उनके द्वारा सचिव के भाई द्वारा उससे मारपीट किये जाने के बारे में थाना प्रभारी, थाना सरना में भी रिपोर्ट कराना बताया है । प्रकरण में अंतिम सुनवाई के दिन न तो सचिव उपस्थित हुये और न ही उनके द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत

किया गया, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी की सुनवाई की गई । इससे यह स्पष्ट होता है कि सचिव, ग्राम पंचायत-बेडेकोना, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर द्वारा सूचना का अधिकार के संबंध में लापरवाही प्रदर्शित की है और जो पूर्ण जानकारी निःशुल्क देने के आदेश आयोग के थे, उसके पालन में न तो पूर्ण जानकारी प्रदान की है और नही विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के लिए कोई कारण बताया है । फिर भी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होने के कारण प्रस्तावित शास्ति की राशि को कम की जाकर धारा-20(1) के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत-बेडेकोना, तहसील-बगीचा, जिला-जशपुर पर 2500/- रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है और साथ ही धारा-20(2) के अन्तर्गत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को सचिव के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जाती है । प्रकरण में विलंब एवं अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अब शेष रही जानकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क दिलवाया जाना सुनिश्चित करें ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त